पत्रांक–5 / पी०–(के० यो०)–53 / 2023 26(5)यो० / स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 07.08.2026

विषयः केन्द्रीय योजना ई०सी०आर०पी०–2 के तहत लातेहार जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गारू के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इत्तर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 2,13,84,654 / – (दो करोड़ तेरह लाख चौरासी हजार छः सौ चौवन) रूपये मात्र को राज्य योजना मद से दिए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–43(5)ब योजना दिनांक–29.05.2023 एवं झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–2214(नि०) दिनांक–25.08.2025 के क्रम में केन्द्रीय योजना ई०सी०आर०पी०–2 के तहत लातेहार जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गारू के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इत्तर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 2,13,84,654 / –(दो करोड़ तेरह लाख चौरासी हजार छः सौ चौवन) रूपये मात्र को राज्य योजना मद से दिए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–43(5)ब योजना दिनांक–29.05.2023 द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रीय योजना ई०सी०आर०पी०–2 के तहत लातेहार जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गारू के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल राशि 11,00,00,000 / –(ग्यारह करोड़) रूपये की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। योजना में स्वीकृति के अनुरूप राशि झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–2214 (नि०) दिनांक–25.08.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निर्माण कार्य, कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कराया गया है। इस हेतु कई एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि / कमी की आवश्यकता पड़ी है। साथ ही, कुछ नये कार्य मदों का कार्यान्वयन भी आवश्यकतानुसार कराया गया है। वास्तविक कार्यस्थल की आवश्यकता अनुसार स्वीकृत नक्शों के अनुरूप विभिन्न कार्यमदों में वृद्धि / कमी इत्यादि के आलोक में विचलन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

4. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची मुख्यालय में दिनांक–21.08.2025 को सम्पन्न बैठक में इस कार्य हेतु गठित तकनीकी समिति द्वारा तैयार विचलन प्रतिवेदन के जाँचोपरान्त इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

(आनन्द कुमार सिन्हा) अवर सचिव	(ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

5. कार्य के एकरारनामा की राशि, एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी के कारण लागत राशि में वृद्धि तथा निगम का संचालन अनुदान की राशि को जोड़ने पर कार्य की कुल लागत राशि 13,13,84,654/रू० होता है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 19.44% अधिक है।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गारू के भवन निर्माण की योजना की लागत राशि में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैः—

क्र०सं०	विवरणी	राशि (रूपये में)
1	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	11,00,00,000.00
2	एकरारनामा की राशि	10,70,81,418.00
3	विचलन की राशि	1,82,00,691.00
4	निगम का संचालन अनुदान की राशि	61,02,544.38
5	**योजना की कुल लागत राशि (2+3+4)**	**13,13,84,653.38**
6	**प्रशासनिक स्वीकृति से वृद्धि की राशि**	**2,13,84,653.38**
7	**प्रशासनिक स्वीकृति से वृद्धि का प्रतिशत**	**19.44%**

3. उक्त योजना में दायित्व राशि के भुगतान हेतु ई०सी०आर०पी०—2 के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के अतिरिक्त व्यय की राशि का वहन राज्य योजना मद से किया जाना है। दायित्व राशि का आवंटन अलग से निर्गत किया जायगा।

4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के अधिसूचना सं०—1269 दिनांक—21.09.2023 की कंडिका—4 के आलोक में उपरोक्त मामले में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः मूल प्रशासनिक स्वीकृति से कुल 2,13,84,654/— (दो करोड़ तेरह लाख चौरासी हजार छः सौ चौवन) रूपये की वृद्धि के कारण व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

5. योजना पर हुए अतिरिक व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत बजट शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—110—अस्पताल तथा औषधालय —(796—जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना सहित)—48—जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण—01—जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित 05—निर्माण—45—निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस, 4210—01—110(796 सहित)—48—01—05—45) के अधीन उपबंधित राशि से किया जाएगा।

6. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो राशि का पुस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता—मुख्यशीर्ष—8448—स्थानीय निधि जमा—120—अन्य निधियाँ में करेंगे।

7. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

8. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग—1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्त्व होगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

26(S)स्वा.
07.08.2026

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए निगम के संबंधित अभियंता/पदाधिकारी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार होंगे।

11. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–43(5)ब योजना दिनांक–09.05.2023 की सभी शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–5/पी०–(के० यो०)–53/2023 26(5)योजना राँची, दिनांकः 07.08.2026

प्रतिलिपिः

1. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
3. उपायुक्त, राँची/लातेहार।
4. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
5. सिविल सर्जन, राँची/लातेहार।
6. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
7. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा) अवर सचिव	(ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

26(5)योजना
07.08.2026